न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

जिला— मुंगेर (बिहार)

उपस्थित :— **राकेश कुमार सिंह,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
मुंगेर।

निर्णय की तिथि :— 22वीं जून 2026

S.T. Case No. 286/2021

CIS NO.- 286/2021

(Arising out of Muffasil P.S. Case No. 197/2020)

परिवादी/सूचक	जय राज गौतम, पिता— स्व0 घनश्याम यादव, साकिन—बॉक, थाना— मुफ्सिल, जिला— मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राम सेवक मंडल विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. **रवि उर्फ गैना यादव**, पिता— कृष्णा यादव, साकिन—बॉक, थाना— मुफ्सिल, जिला— मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजेश कुमार विद्वान अधिवक्ता

Date of offense	**15.08.2020**
Date of FIR	**20.08.2020**
Date of Charge sheet	**28.03.2021**
Date of Framing of Charges	**22.11.2022**
Date of commencement of evidence	**20.12.2022**
Date on which judgment is reserved	**20.06.2026**
Date of the Judgment	**22.06.2026**
Date of the Sentencing order, if any	-----

Accused Details:

Rank of the Accused	Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offenses Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1.	रवि उर्फ गैना यादव	------	------	Section 307,323,341,504, 506, I.P.C & 27 Arms Act	अभियुक्त को रिहा किया गया।	लागू नहीं। क्यो कि अभियुक्त को इस वाद में रिहा किया गया।	.....

निर्णय

1. इस वाद में दिनांक 22.11.2022 को अभियुक्त 1. रवि उर्फ गैना यादव के विरूद्ध धारा 307,323,341,504,506, भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया तथा अभियुक्त को हिन्दी में पढ़ कर सुनाया समझाया गया, जिस पर अभियुक्त अपने उपर लगाये गये आरोंपो से इनकार किये तथा विचारण का दावा किये।

2. यह वाद सूचक जयराज गौतम के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसमें सूचक का यह कहना है कि दिनांक 15.08.2020 को संध्या 5:00 बजे सूचक अपने गोतिया में, चचेरे भाई दीपक यादव के घर पर पंचायती करने पहुंचा। वहॉ पहले से मौजूद 1. शम्भू यादव 2. रूपेश यादव 3. अम्बो यादव 4. रवि उर्फ गैना यादव हरवे हथियार से पहले से लैस थे। रूपेश यादव ने सूचक को मॉ बहन लगाकर गाली गलौंज देते हुए आदेश दिया कि, भैया दुश्मन सामने है, आज कहानी खत्म कर दो। इस पर रवि उर्फ गैना यादव एवं अम्बो ने सूचक को पकड़ लिया एवं शम्भु यादव जान मारने कि नियत से पिस्टल सूचक के चेहरे पर सटाकर फायर किया। परन्तु सूचक ने चेहरा घुमा लिया, जिस कारण गोली सूचक के ठुड्डी को फाड़ते हुए निकल गया एवं सूचक वही गिर गया। रूपेश यादव ने सूचक के छाती पर पिस्तौल सटाकर फायर किया। परन्तु गोली मिस फायर हो जाने के

कारण सूचक की जान बच गई। तब गोली कि आवाज पर सूचक के परिवार के सदस्य एवं ग्रामीण दौड़ कर आये तो चारो भाग खड़े हुए। *इसलिए मुफ्सिल थाना कांड संख्या– 197/2020 दिनांक 20.08.2020 अन्तर्गत धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र संख्या–71/2022 दिनांक 28.03.2021 अन्तर्गत धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत समर्पित किया गया। जिस पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं वाद का विचारण हेतू दौरा–सुर्पुद कर दिया गया।*

3. अभियोजन की ओर से इस वाद में निम्नलिखित साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :–

साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार	अभ्युक्ति
1.	संजीव कुमार	सामान्य साक्षी	
2.	अतुल कुमार शर्मा	सामान्य साक्षी	
3.	मीनाक्षी कुमारी	सामान्य साक्षी	
4.	अमरेश कुमार उर्फ जसपाल राणा	सामान्य साक्षी	
5.	जयराज गौतम	सूचक	
6.	मनोज तांती	सामान्य साक्षी	
7.	गौरव कुमार	सामान्य साक्षी	

4. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेंजी साक्ष्य :–

क0 सं0	प्रदर्श	विवरणी	अभ्युक्ति
1.	1	फर्दबयान पर सूचक जय राज गौतम का हस्ताक्षर	
2.	1/1	फर्दबयान पर कृष्णनंदन चौधरी का हस्ताक्षर	

5. बचाव पक्ष कि ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का धारा 313 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान दिनांक 15.06.2026 को दर्ज कराया गया।

जिस पर अभियुक्त अपने विरूद्ध साक्ष्यों से इनकार किये तथा अपने को निर्दोष बताया।

7. क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्त–युक्त संदेहो से परे सिद्ध करने में सफल हुए है ?

8. इस वाद में अभियोजन पक्ष कि ओर से कुल सात साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। **साक्षी संख्या–01 संजीव कुमार** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह घटना 15.08.2020 कि है। समय शाम के 5:00–5:15 बजे का था। मैं उस दिन संदलपुर चौराह पर अपने दोस्त विक्रम कुमार के पास बैठा हुआ था। रूपेश को फोन आया, रूपेश हल्ला कर उठा और बोला कि शंभु यादव मेरे भाई को गोली लग गया है इसलिए हम जा रहे है। **साक्षी संख्या–02 अतुल कुमार शर्मा** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किये है और कथन किये है कि यह घटना 15.08.2020 की है। मैं संदलपुर चौबटिया विक्रम यादव के घर पर बैठा था। 5:15 बजे लगभग रूपेश कुमार को फोन आया कि शंभु यादव एवं रवि कुमार उर्फ गैना को गोली लगा है। उसके बाद रूपेश भैया सदर अस्पताल निकल गये। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पुलिस के बयान में नहीं कहा था कि शंभु यादव एवं रवि कुमार उर्फ गैना को गोली लगा है। **साक्षी संख्या–03 मीनाक्षी कुमारी** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कही है कि यह घटना 15.08.2020 की है। समय शाम 5:00 बजे का था। उस समय मैं घर पर थी। अचानक गोली का आवाज आया तो मैं बाहर आयी तो देखी कि मेरे भैसूर शंभु यादव और देवर रवि कुमार उर्फ गैना को गोली लग गया है। मैं अपने पति को फोन की और बोली कि आप कहाॅ है, वे बोले कि संदलपुर में विक्रम के यहाॅ है। ये साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कही है कि शंभु यादव और मेरे देवर रवि को जय राज गौतम ने गोली मारी थी। **साक्षी संख्या–04 अमरेश कुमार उर्फ जसपाल राणा** अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूॅ। पुलिस मे मेरा बयान नही हुआ था। अतः साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। **साक्षी संख्या–05 जय राज गौतम** घटना का समर्थन करते हुए अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कहे है कि यह घटना दिनांक 15.08.2020 की है, समय

लगभग संध्या 5 बजे का हो रहा था। घटना के समय मैं अपने घर पर था। मुझे मेरा चचेरा भाई दीपक यादव ने फोन किया कि मेरे घर पर पंचायती है, तुम आ जाओ। मैं घटना के समय दीपक यादव के घर पर था। जैसे ही मैं दीपक यादव के घर पहुंचा तो देखा कि शंभु यादव, अम्मो यादव उर्फ अम्बष्ट, रूपेश यादव, रवि उर्फ गैंना यह भी वहां हरवे हथियार से लैश होकर वहां मौजूद थे। तभी वहां पर रूपेश यादव बोला कि दुश्मन सामने खड़ा है, उसका आज काम तमाम कर देते हैं। तभी रूपेश यादव और रवि उर्फ गैना और अम्बो यादव ने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद शंभू यादव मेरे चेहरे पर पिस्टल सटाकर जान मारने की नियत से उसने गोली फायर किया। जैसे ही मैंने अपना चेहरा घुमाया तो गोली मेरे ठुडी के आर–पार होते हुए निकल गई, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बाद रूपेश यादव मेरे छाती पर चढ़कर मुझपर गोली फायर किया। गोली मिस फायर हो गई तभी मेरे परिवार के सदस्य और ग्रामीण लोग गोली की आवाज सुनकर वहां पर आये और मुझे अस्पताल लेकर जाने लगे। मुझे सदर अस्पताल में लाया गया था। सदर अस्पताल ने मेरे गंभीर स्थिति को देखते हुए मुझे पटना आई.जी.एम.एस रेफर कर दिया गया, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों ने बेहतर इलाज के लिए मुझे रूबन हॉस्पिटल पटना लेकर चले गए। घटना का कारण यह है कि शंभू यादव ने एक संवेदक के साथ मारपीट किया था, वह हमारे गांव में रोड बनाने आये थे, उससे शंभू यादव ने मारपीट कर रंगदारी की मांग की थी, जिससे उस संवेदक ने उसके उपर केस कर दिया और उस केस में शंभू यादव जेल गये। शंभू यादव का ऐसा मानना था कि यह केस मेरे कहने पर हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। (मूल अभिलेख (सत्र वाद 19/2021) पर उपलब्ध फर्दबयान को दिखाने पर साक्षी कहते हैं कि) यह फर्दबयान मेरा है, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, हस्ताक्षर को **प्रदर्श पी 1/PW 5 अंकित** किया जाता है।, फर्द बयान पर कृष्णनंदन चौधरी के हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानता हूँ। फर्द बयान पर कृष्णनंदन चौधरी के हस्ताक्षर को **प्रदर्श पी 1/1/PW 5** किया जाता है। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त रवि उर्फ गैना है, जिसे मैं पहचानता हूँ। साक्षी प्रतिपरीक्षण के पारा–7 मे कहे है जिस समय पंचायती हो रही थी, वहां पर भीड़ थी। पंचायती चलने के दौरान दो अज्ञात ग्रुप में

गोली फायर होने लगी थी। गोली फायरिंग के कारण वहां पर भगदर मच गई। हमलोग भी भागने लगे। *उसी भागदौर में एक गोली मुझे भी लगा था। किस अपराधी का गोली मुझे लगा मैं यह नहीं देख सका।* उसी अज्ञात अपराधियों के गोली फायरिंग में मेरे सह ग्रामीण शंभू यादव क*ो भी गोली लगी। वह गोली–बारी किस अपराधियों के द्वारा की गई, वह मुझे आज तक नहीं पता चल पाया। गोली मेरे मुंह में लगी थी, जिस कारण मैं बोलने की स्थिति नहीं में नहीं था। डॉक्टर के द्वारा ईलाज किया गया* और किलीप से मेरे मुंह को बंद कर दिया गया था। *पुलिस को मैंने इंसारे से घटना के बारे में बताया था।* पुलिस को मैंने बयान नहीं दिया था। जिस समय मेरे इलाजरत अवस्था में पटना में पुलिस आई तो उस समय भी बहुत सारे लोग वहां पर थे। उनलोगों में से कुछ मेरे गांव के भी थे और बाहरी भी व्यक्ति थे। पुलिस ने क्या लिखा, उसको मैंने नहीं पढ़ा। मैं पढ़ने की स्थिति में भी नहीं था। पुलिस ने जहां बताया वहां मैंने अपना हस्ताक्षर बना दिया। मैं और अभियुक्तगण एक ही गांव के हैं। मेरे और अभियुक्तगण के बीच तत्काल कोई झगड़ा–झंझट नहीं है।आज मैं गवाही स्वेच्छा से दिया हूॅ। इसके पूर्व में न्यायालय या और कही भी गवाही दिया हूॅ, वह मुझे याद नहीं है। पुलिस के द्वारा इस केस में मेरे ग्रामीण को कैसे मुदालय बनाया गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। **साक्षी संख्या–06 मनोज तांती** घटना के बारे में कथन किये है, लेकिन उनका कहना है कि पंचायती के दौरान किसने गोली चलाया, मैं नहीं देखा। इसप्रकार साक्षी अभियोजन केस का समर्थन नहीं किये जिसके चलते उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। वहां पर गांव के बहुत से लोग जुटे हुए थे, इसी भीड़ में किसी के द्वारा गोली–बारी किया गया और भगदड़ मच गई। **साक्षी संख्या–07 गौरव कुमार** मुख्य परीक्षण में कहे है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अतः उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

मन्तव्य

9. अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह प्राथमिकी जयराज गौतम के फर्दबयान पर दर्ज किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध गोली से फायर करने और जान से मारने का

आरोप लगाया गया है। इसी आशय का मुफ्सिल थाना कांड 197/2020 दिनांक 20.08.2020 अन्तर्गत धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया, जिसमें अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र धारा 341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स के अन्तर्गत अभियुक्त रवि उर्फ गैना के विरूद्ध समर्पित किया गया।

10. वाद विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा सूचक सहित कुल छः साक्षियों का परीक्षण कराया गया। **साक्षी संख्या—04,06 एवं 07** अभियोजन केस का समर्थन नही किये है तथा इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **साक्षी संख्या—01** अपने मुख्य परीक्षण के पारा—01 में कहा कि रूपेश को फोन आया, रूपेश हल्ला कर उठा और बोला कि शंभु यादव, मेरे भाई को गोली लग गया है, इसलिए हम जा रहे है। यह साक्षी भी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। साक्षी संख्या—02 एवं 03 शंभू यादव और रवि कुमार को गोली लगने कि बात कहा है, लेकिन गोली कौन मारा इसके बारे में कोई कथन नहीं किया गया है। **साक्षी संख्या—05** सूचक है, अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के पारा—7 में यह कथन किया कि किस अपराधी का गोली मुझे लगा, मैं यह नही देख सका। पारा—8 में यह कथन किया है कि किस अपराधी के द्वारा गोली चलाया गया, उसे आज तक पता नही चला। पारा—9 में कहा कि पुलिस को मैने इशारे से घटना के बारे में बताया था तथा पुलिस को मैने बयान नहीं दिया था। इलाज के दौरान मेरे मुँह को बंद कर दिया गया था तथा पारा—10 में कथन किया है कि पुलिस ने क्या लिखा उसको मैने नही पढ़ा, क्योकि मैं पढ़ने के स्थिति में नहीं था और पुलिस ने जहाँ बताया वहाँ दस्तखत कर दिये।

11. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि सूचक एवं अन्य साक्षीगण के द्वारा सूचक एवं अन्य को गोली लगने कि बात कही गयी है, लेकिन अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित करने का कथन नहीं किया गया है। यद्यपि सूचक के द्वारा मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया गया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तों कि संलिप्तता से इन्कार किया है। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदेह पैदा करता है। अभियोजन का यह दायित्व है कि आरोंप को संदेह से परे साबित करें, लेकिन साक्ष्य के

अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि साक्षीगण अभियुक्तों के मेल में आकर घटना का समर्थन नहीं किये है। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेशन से न्यायालय यह पाती है कि अभियोजन अभियुक्तों पर लगाये आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है।

आदेश

12. अतः अभियुक्त **रवि उर्फ गैना यादव** को **धारा 307,323,341,504,506, भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम** के अन्तर्गत निर्दोष पाते हुए, सभी आरोपों से बरी किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

लेखापित,	संशोधित एवं हस्ताक्षरित
(राकेश कुमार सिंह)	**(राकेश कुमार सिंह)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मुंगेर।	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मुंगेर।
22.06.2026	**22.06.2026**